

प्रेषक,

अरुण कुमार,
अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०वि०को०) विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :-

श्री रविकान्त पटेल, सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई के दिनांक-08.09.2025 से 06.10.2025 तक प्रभार रहित अवधि का सेवा विनियमन की स्वीकृति के संबंध में।

पटना, दिनांक-

जनवरी, 2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कृषि विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-4142 दिनांक-06.09.2025 क्रमांक-31 द्वारा बिहार कृषि सेवा कोटि-1 (शष्प) समूह 'ख' (मूल कोटि) के पदाधिकारी श्री रविकान्त पटेल की सेवा गन्ना उद्योग विभाग को सौंपी गयी। श्री रविकान्त पटेल द्वारा दिनांक-08.09.2025 के पूर्वाह्न में गन्ना उद्योग विभाग में अपना योगदान समर्पित किया गया।

विभागीय अधिसूचना संख्या-1528 दिनांक-06.10.2025 क्रमांक-12 द्वारा श्री रविकान्त पटेल, सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई के पद पर पदस्थापित किया गया है। श्री रविकान्त पटेल सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई का दिनांक-07.10.2025 के पूर्वाह्न में प्रभार ग्रहण किया गया।

अतएव वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-10128 दिनांक-26.12.2003 के आलोक में श्री रविकान्त पटेल, सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई का दिनांक-08.09.2025 से 06.10.2025 तक कुल 29 (उन्नतीस) दिनों का पदस्थापन की अनिवार्य प्रतिक्षा में बितायी गयी अवधि के रूप में विनियमन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना की सहमति एवं अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या-01/स्थांराज-381/2025-

/पटना, दिनांक- जनवरी, 2026

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या-01/स्थांराज-381/2025- 31.

/पटना, दिनांक- 07 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि- श्री रविकान्त पटेल, सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई/श्रीमती शालीनता रानी, आई. टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव।